तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दस्तावेज पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 27/2/26 को पेश हो। (initials)
27/2/26	वकील वादी उप. / पेशकार सरकार उप. / बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 5/3/26 को पेश हो। (initials)
5/3/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/3/26 को पेश हो (initials)
23/3/26	वकील वादी उप. / ~~[illegible]~~ पुनः बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 9/5/26 को पेश हो। (initials)
9/5/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावेगा। आ० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (initials)

प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दस्तावेज पेश नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस दि. 27/2/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27/2/26	वकील वादी उप. / पैरोकार सरकार उप. / बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 5/3/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5/3/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः [illegible] साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/3/26 को पेश हो (हस्ताक्षर)
23/3/26	वकील वादी उप. / ~~बहस~~ पुनः बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 9/5/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9/5/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर श्रा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी
(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0
55/दावा/2022

तारीख दायरा
01.08.2022

तारीख फैसला
09.04.2026

संजय कुमार चौधरी आयु 45 वर्ष आ0 सुरजमल जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री रामकैलाश नागर
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट व 136 एलआरएक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट व 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076 की खाता संख्या नया 238 पुराना 323 की खसरा संख्या 682 रकबा 1.7725 हैक्टेयर वांके ग्राम जलोदी पटवार हल्का बाजड भू0अभि0नि0 क्षेत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 482 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा, 479 मिन 5 बिस्वा है। उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान जमाबंदी में सरकार खातेदार के रूप में दर्ज है। तथा वादी शिकमी के रूप में दर्ज है। इनके पूर्व वादी के पिता, दादा शिकमी के रूप में दर्ज रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर गत 100 सालो से वादी के दादा जी, पिताजी काबिज काश्त रहे है और बतौर शिकमी काबिज चले आ रहे है। रहन मुक्ति का दावा भी अवधि बाधित हो चुका है। इस आधार पर उक्त कृषि भूमि के वादीगण खातेदार बन चुके है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत उक्त कृषि भूमि पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है परन्तु प्रतिवादी द्वारा वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार अंकित नही किया है। राजस्व रिकार्ड के अंकन से वादी के हको पर आक्षेप पहुँचता है वादी स्वंय को उक्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक घोषित कराने के अधिकारी है, कही बार प्रतिवादी से कहा गया पर कोई ध्यान नही दिया गया इसलिये वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वादी का आय का एक मात्र साधन कृषि है। वादी का शान्त एवं वेद्य कब्जा उक्त भूमि पर चला आ रहा है वादी उक्त भूमि के खातेदार नहीं बनने से किसी राजकीय योजना का लाभ नही ले पा रहा है। अतः न्यायालय श्रीमान् से प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा संख्या 682 रकबा 1.7725 हैक्टेयर वाके ग्राम जलोदी में कब्जा मुखालफाना के आधार सरकार को खातेदार हटाकर वादी शिकमी काश्तकार को खातेदार अधिकार दिया जावें तथा भू-राजस्व अभिलेखो से सरकार खातेदार नाम हटाया जावें तथा वादी को खातेदार अधिकार देते हुए शिकमी का इन्द्राज विलोपित किया जावें, उक्त आशय की डिक्री सादर फरमाई जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 7447 दिनांक 30.10.2023 से ग्राम जलोदी पटवार हल्का बाजड नवीन ख0सं0 682 रकबा 1.7725 पुराना ख0सं0482 रकबा 10 बीघा।4 बिस्वा, ख0सं0 489 मि0 रकबा 5 बिस्वा के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम जलोदी के खाता सं0 238 संवत् 2076 में खातेदार 1 महावीर पुत्र खाना हि0 1/11 जाति जाट सा0 देह खातेदार , 2. संजय क ुमार पुत्र सुरजमल हि0 4/11 जाति जाट सा. कोटा खातेदार 3. सरकार हिस्सा 1/3 खातेदार, 4. सुरेन्द्र चौधरी पुत्री सुरजमल हिस्सा 4/33 जाति जाट सा. कोटा

खातेदार, सावित्री चौधरी पुत्री सुरजमल हिस्सा 4/33 जाति जाट सा. कोट खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा मौके पर उपरोक्त खातेदार ही काबिज काश्त है मौके पर धान की फसल है। वर्तमान ख0सं0 682 सरकार हि0 1/3 खातेदार किस आधार पर हुआ इस बाबत तहसील तालेडा में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिस पर अन्तिम उपलब्ध रिकार्ड भू-प्रबन्ध विभाग की आधार वर्ष की जमाबन्दी सं0 2028-47 के खाता सं0 83 में दर्ज प्रविष्टि अनुसार ख0सं0 682 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा किस्म नहरी दोयम पर सुरजमल वल्द प्रताप व ईशर वल्द श्रीकिशन कोम जाट सा0 कोट 2/3 सरकार 1/3 दर्ज है।

पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि वादी एवं उसके पूर्वज लम्बे समय से शांतिपूर्ण निरन्तर एवं वास्तविक कृषि उपयोग कर रहे है तथा सरकार द्वारा अभी तक कोई बेदखली अथवा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नही की गई है ऐसी परिस्थिति में दीर्घकालीन कब्जे काश्त , निरन्तर कृषि उपयोग एवं समान प्रकृति की भूमि पर पूर्व में प्रदत्त खातेदारी अधिकारो को दृष्टिगत रखते हुए विवादित भाग पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

वकील वादी ने वाद पत्र के समर्थन में वर्तमान नकल जमाबन्दी खाता सं0 238 वाके ग्राम जलोदी संवत् 2076, मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध विभाग, जमाबन्दी 2012-15,खसरा गिरदावरी संवत 2020 से 2022, खेवट जमाबन्दी 2017, जमाबन्दी सींगा 2003 से 07, जमाबन्दी संवत 2041-44, जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग 2028-41, जमाबन्दी संवत 2036-39, जमाबन्दी संवत 2045-48, जमाबन्दी संवत 2053-56, जमाबन्दी संवत 2057-60 पेश की गई।

बहस उभयपक्ष सूनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वर्णित आराजी जमाबन्दी सींगा संवत् 2003 से ही वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि थी जो कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम बार जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग संवत् 2028-41 में वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि में सरकार खातेदार 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड किया गया । जिस बाबत ना तो कोई आदेश हुआ है ना ही किसी न्यायालय का कोई आदेश हुआ जिससे वादी की खातेदारी भूमि में सरकार खातेदार को 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड किया गया। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सींगा 2003 से 2007 एवं जमाबन्दी संवत 2012-15 का अवलोकन करने से स्पष्ट है किन्तु भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा तत्कालीन ख0सं0 479 रकबा 5 बिस्वा एवं ख0सं0 482 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा को शामिल कर नवीन ख0सं0 682 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा बनाते हुए जमाबन्दी से वादी के हिस्से में सरकार का हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड कर दिया गया जो कि गलत प्रविष्टि है विवादित आराजी पर निर्बाध रूप से वादी एवं वादी से पूर्व वादी के पूर्वज काबिज काश्त है जिसकी पुष्टि तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खाता सं0 238 ख0सं0 682 रकबा 1.7725 हैक्टे0 में से सरकार हिस्सा 1/3 को विलोपित कर वादी के खातेदारी अधिकार में दज रेकार्ड की जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट अनुसार वादी के राजस्व अभिलेख में ख0सं0 682 सरकार हि0 1/3 किस आधार पर हुआ इस बाबत तहसील में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अन्तिम उपलब्ध रेकार्ड भू-प्रबन्ध विभाग की आधार वर्ष की जमाबन्दी सं0 2028-47 के खाता सं0 83 में दर्ज प्रविष्टी अनुसार सरकार हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड है अन्य कोई रेकार्ड अथवा आदेश की प्रति रेकार्ड में अनुपलब्ध है।

बहस उभय पक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी वाद वर्णित आराजी ख0सं0 682 रकबा 1.7725 हैक्टे0 पर काबिज काश्त है जिसमें वादी खातेदार के साथ सरकार हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड है पूर्व संवत 2003 से 2007 एवं संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में वादी के पूर्वज ख0सं0 482 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा का स्वतन्त्र खातेदार दर्ज रेकार्ड थे। किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान ख0 सं0 479मि. रकबा 5 बिस्वा एवं ख.सं. 482 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा को मिला कर नवीन ख0सं0 682 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा कायम कर आधार वर्ष जमाबन्दी में सुरज वल्द प्रताप, ईसर वल्द

[illegible] हिस्सा 2/3 व सरकार 1/3 दर्ज रेकार्ड प्रविष्ट किया गया। जबकि पूर्व जमाबन्दी अनुसार खातेदारान् के खाते में ख0सं0 482 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी एवं ख0सं0 479 कि रकबा 5 बिस्वा अन्य खाते में दर्ज रेकार्ड थी। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी ख0सं0 682 रकबा 1.7725 हैक्टे0 में हिस्सा सरकार 1/3 विलोपित किया जाकर सेटलमेन्ट से पूर्व स्थिति अनुसार नवीन ख0सं0 682 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि जो कि सेटलमेन्ट से पूर्व ख.सं. 479 रकबा 5 बिस्वा थी को सरकार के खाते पृथक से दर्ज रेकार्ड की जावे। 1/3 हिस्से में शेष भूमि को वादी के खाते दर्ज रेकार्ड कर प्रविष्टि को संशोधित किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।
इजलास मनस्वी नरेश , आर0ए0एस0

संजय कुमार चौधरी आयु 45 वर्ष आ0 सुरजमल जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

<u>अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट व 136 आर.टी.एक्ट</u>

55/दावा/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु बहहाजरी श्री रामकैलाश नागर एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी ख0सं0 682 रकबा 1.7725 हैक्टे0 में हिस्सा सरकार 1/3 विलोपित किया जाकर सेट्लमेन्ट से पूर्व स्थिति अनुसार नवीन ख0सं0 682 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि जो कि सेट्लमेन्ट से पूर्व ख.सं. 479 रकबा 5 बिस्वा थी को सरकार के खाते पृथक से दर्ज रेकार्ड की जावे। 1/3 हिस्से में शेष भूमि को वादी के खाते दर्ज रेकार्ड कर प्रविष्टि को संशोधित किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

नीज.............................. मुबलिक................................ बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह........................ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

मुदई		रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा				स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात				स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत				महबताबा वकील		
महबताबा वकील				खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान				फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर				बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा				हुक्मनामा		
मुतफरिक				मुतफरिक		
मीजान						

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 09 माह 04 वर्ष 2026 को जारी की गई।

मोहर

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा